

न्यायालय - श्रीमान पिठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
प्र क / 2018 रिवीजन
बिकरानी - 4998/2018 / उज्जैन / भू.श.

पार्थी ... श्री ...
द्वारा प्र ...
दिनांक 13/7/18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

ईश्वरलाल पिता रामलालजी जाति - कलाल
निवासी - ग्राम बिरियाखेडी तह. बडनगर जिला उज्जैन आवेदक
आर.एस. पादक
विरुद्ध
रमेश पिता भागीरथजी कुशवाह
निवासी - बीराखेडी तह बडनगर जिला उज्जैन
.....अनावेदकगण

पुनरिक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता
नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशनुसार सीमांकन प्रकरण क्रमांक
106/अ 12 /17.18 मे पारित रिपोर्ट दिनांक- 23/06/2018 अनुसार
सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही से शुद्ध होकर ।

माननीय महोदय,
आवेदक की ओर से पुनरिक्षण आवेदनपत्र निम्नलिखित
सविनय पेश है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम बिरियाखेडी तह बडनगर मे एक भुमि आवेदक के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की भुमि सर्वे नं 632 /1 छे सो बत्तीस बटा एक रकबा 2.81 दो दशमलव एक्कासी भुमि ग्राम बिरियाखेडी तह. बडनगर मे स्थित है। उक्त भुमि को आवेदक के पिता से पैत्रिक रूप मे प्राप्त हुयी है आवेदक के पिता श्री रामलालजी व उनके भाई श्री मोतीलालजी ने उक्त भुमि को स्व ठाकुर साहब श्री ब्रजकिशारजी माथुर एवं कुंवर श्री राजेन्द्रसिंहजी माथुर से कय की थी । उसके बाद आवेदक के पिता व काका ने आपसी बँटवारा किया । आवेदक के पिता श्री रामलालजी को उक्त भुमि हिस्से मे प्राप्त हुयी उसके बाद आवेदक को उक्त भुमि प्राप्त हुयी

यह कि आवेदक की उक्त भुमि का सीमांकन पुर्व मे करवाया जब मोके आवेदक व उसके काका का बँटवार हुआ । अनावेदक एवं उसके अन्य भाई उदयलाल , रमेशचन्द्र, राजाराम , गणपत के मध्य आपस मे बँटवार किया गया तब पटवारी मोजा सीमांकन के लिये आये । जब सीमांकन कार्यवाही आरम्भ की तो आवेदक की भुमि का ही सीमांकन किया गया । जबकि अनावेदक की भुमि मे कोई जरीब नही चलाई । अनावेदक की



53
13/7/18

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4998/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	